न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
किशनाराम पुत्र गोकलाराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सॉचौर जिला जालोर		1.आसुराम पुत्र गोकलाराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सॉचौर जिला जालोर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील **07/2018**

अपील विरूद्वआदेश दिनांक 19.10.2008 बमुकदमा संख्या 36/08 जो तहसीलदार सांचौर द्वारा बाबत विभाजन पारित किया गया।

उपस्थिति:-
1-श्री निखिल कुमार दवे अभिभाषक अपीलांटस
2-श्री सिकन्दर अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

दिनांक:-05.02.2019

निर्णय

.....

अपीलांट की अपील अन्तर्गतत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत की गई है,जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा पुर तहसील सांचौर में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि आई हुई है जिससे खसरा नंबर 865 रकबा 0.81 हैक्टर,867 रकबा 0.78 हैक्टर,1236 रकबा 1.35 हैक्टर,1238 रकबा 2.21 हैक्टर, 1261 रकबा 0.64 हैक्टर, 1457 रकबा 1.16 हैक्टर, 1461 रकबा 0.55 हैक्टर, 1464 रकबा 0.68 हैक्टर, 1466 रकबा 1.71 हैक्टर, 1517 रकबा 0.82 हैक्टर, 1538 रकबा 1.13 कुल खसरा नंबर 11 कुल रकबा 11.84 हैक्टर किस्म तमाम बारानी सोयम की आई हुई है। अपीलांट अशिक्षित होने से धोखे में रखकर उसका अगुठा करवा कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के न्यायालय में बटवाडा करवा दिया। अपीलाधीन बंटवाडा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के विपरित होने से व अपीलांट को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं मौके की स्थिति को देखे बिना ही पारित किया है जिससे अपीलांट के हितो पर कुठाराघात होने से अपीलाधी आदेश निरस्त योग्य है,बंटवाडा में अपीलांट को कुल भूमि में से 5.21 हैक्टर भूमि बंटवाडे के तहत दी गई है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 6. 47 हैक्टर भूमि बंटवाडे में दी गई एवं 0.16 हैक्टर भूमि रास्ते के रूप में रखे जाने का आदेश दिया है। तमाम खसरा नंबर की भूमि कि किस्म समान है यानी बारानी सोयम है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य समान रूप से भूमि का विभाजन करवाये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कुल आराजी में से 1.26 हैक्टर भूमि अधिक दी गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण बंटवाडे में नही दिया गया है। किसी खातेदार को अगर उपजाउ भूमि दी जाती है एवं दूसरे खातेदार को अनउपजाउ भूमि दी जाती है तो भूमि की मात्रा में कमी बेशी की जाती है,अपीलाधीन बंटवाडा में भूमि की किस्म समान होने से उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाते हुये मुख्य सडक की तरफ की किमती भूमिया आई हुई है वह अपने हिस्से में दर्ज करवा दी जिससे अपीलांट को भारी क्षति हुई है,बंटवाडा करते समय मौके की भौतिक स्थिति का सत्यापन नही किया गया है। केवल मात्र खानापूर्ति कर उक्त बंटवाडा किया गया है। अपीलांट को

Sd—

बंटवाडा करने से पूर्व कोई जानकारी नही दी मौके पर भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बंटवाडा के अनुसार काबिज नही है।

अपीलांट को उक्त अपीलाधीन बंटवाडा की जानकारी सर्व प्रथम 25.01.2018 को हुई जब अपीलांट द्वारा ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब उसे पता चला की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलावट कर उक्त बटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव की प्रमाणितप्रति हेतु दिनांक 05.2.2018 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 05.02.2018 को मिली बंटवाडे की जानकारी होने एवं नकल प्राप्त होने से अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है, उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावी है एवं अपीलांट की अपील को अन्दर म्याद लिये जाने हेतु पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है।अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.1.2018 को हुई उससे पूर्व कभी भी नही हुई। अत:अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व बंटवाडा प्रस्ताव पारित हुआ है उसे निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 25.01.2018 को हुई जब अपीलांट द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये पटवारी हल्का के पास जाकर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब उसे पता चला की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलावट कर उक्त बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 05.2.2018 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 05.02.2018 को मिली तब बंटवाडे की जानकारी होने से अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावी है एवं अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्याय संगत है।

उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट ने जबाब प्रस्तुत किया है कि कुल आराजी कुल 11.84 हेक्टयर का आपसी सहमति से पूर्व में हुए बंटवाडे के अनुसार बंटवाडा करने की दरख्वास्त तथा आपसी बंटवाडा दिनांक 14.07.2008 को लिखवाकर दिनांक 18.07.2008 को तहसीलदार सांचौर के समक्ष पेश किया तथा बंटवाडा लिखित को पढ सुन कर सही होना स्वीकार किया जिसमें अपीलांट किशनाराम ने अपने कब्जे हिस्से में कुल 5.21 हैक्टेयर तथा रास्ते में शामलाती 0.16 हैक्टेयर भूमि रखने तथा रेस्पोडेन्ट आसूराम के हिस्से कब्जे में 6.47 हैक्टेयर भूमि होना स्वीकार करते हुए नक्शा व स्टाम्प पर आपसी बंटवाडा लिखवाकर पेश किया था,मौके पर लिखित बंटवाडा के अनुसार कब्जा होने की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 19.9.2008 को तहसीलदार सांचौर ने आदेश पारित किया तथा उसी अनुसार रेकर्ड में अलग अलग बंटवाडा हो चुका है एवं इसी अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अपने हिस्सो पर काबिज काश्त है,खसरा नंबर 1261 व 1464 में होकर पानी का नाला चलता है तथा कम उपजाउ है इसी कारण रेस्पोडेन्ट आसूराम के हिस्से में ज्यादा भूमि रखी गई थी,तथा अपीलांट किशनाराम व रेस्पोडेन्ट आसूराम का भाई भाखराराम मंद बुद्धि था आसूराम ने ही उसकी परवरिश की थी तथा उसके लावारिस फौत होने तक आसूराम द्वारा उसका भरण पोषण देखरेख करने के कारण रेस्पोडेन्ट आसूराम के हिस्से में ज्यादा भूमि रखी गई थी।गत 30 सालो से बंटवाडा अनुसार माठ कायम की हुई है।आसूराम ने दरख्वास्त दिनांक 14.7.2008 को लिखवाकर तहसीलदार सांचौर के समक्ष दिनांक 18.07.2008 को पेश किया, तथा बंटवाडा में लिखी गई ईबारत को सुन समझ कर सही होना स्वीकार करते हुए आर्डर शीट आदि पर अंगुठे किया उसी आधार पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा कर उसी समय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.07.2008, 18.07.2008, 19.09.2008 से ही थी फिर भी बंटवाडा का ज्ञान 25.01.2018 को होने के तथ्य गलत लिखे गये है अपीलांट को पूर्व में जानकारी थी फिर भी गलत रूप से यह देरिना अपील पेश की गई है

Sd/-

जो काबिल खारिज।रेकर्ड में बंटवाडा होने के 10 साल बाद व मौके पर बंटवाडा होने के 30 साल बाद गलत रूप से देरिना अपील पेश की है जिससे अपील म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षो की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस में यह कथन किया कि कुल आराजी 11.84 हैक्टेयर में से बंटवाडा में अपीलांट को 5.21 हैक्टेयर भूमि ही दी गई व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में 6.47 हैक्टेयर भूमि रखी गई है इस प्रकार 1.26 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट को ज्यादा दी गई है।समस्त भूमि बारानी सोयम किस्म की है उपजाउ अनउपजाउ भूमि नही है न ही अलग अलग किस्म की भूमि है। अत:अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को समान रूप से भूमि बंटवाडे में बराबर बराबर मिलनी चाहिए ,अपीलांट को 1.26 हैक्टेयर भूमि कम देकर मातहत अदालत तहसीलदार सांचौर ने अपीलाधीन बंटवाडा का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है अत:अपीलांधीन बंटवाडा का आदेश काबिल खारिज है।अपीलांट को इस अपीलाधीन बंटवाडा का सर्वप्रथम पटवारी के पास जाने से दिनांक 25.1.2018 को पता चला व नकले दिनांक 5.2.2018 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई इससे पूर्व अपीलांट को इस बंटवाडा की जानकारी नही थी अपीलांट अनपढ है उसका फायदा उठाकर उक्त बंटवाडा पारित करवाया गया है ऐसा बंटवाडा गलत व अविधिक है गलत व अविधिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है उसके लिये म्याद का प्रश्न बाधक नही रहता है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी बहस में बताते है कि खसरा नंबर 1261, 1464 में नाला चलता है अत:यह भूमि कम उपजाउ है अत:अपीलांट को ज्यादा भूमि दी गई है।अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का एक भाई भाकाराम मंदबुद्धि का था व रेस्पोडेन्ट आसूराम ने उसकी परवरिश की थी जो बाद में लाऔलाद फौत हो गया था इस बजह से अपीलांट को कम व रेस्पोडेन्ट को ज्यादा भूमि आपसी सहमति से दी गई थी। बंटवाडा दोनो पक्षो के हस्ताक्षरो से पेश हुआ था, बंटवाडा के पूर्व ही मौखिम बंटवाडा कर लिया था व उसी अनुसार कब्जा काश्त था।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2)के प्रावधानो के अनुसार बंटवाडा किया गया है जो सही मौके पर भूमि उबद खावड व कम उपजाउ होने से भी मौके पर पूर्व से ही काबिज थे। उसी अनुसार बंटवाडा तकमील किया गया है जो पटवारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट से साबित हो जाता है, लिखित बंटवाडा का मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश में 10 साल बाद अपील पेश की गई है जो म्याद बाहर है अपीलांट को बंटवाडा की दरख्वास्त पेश करने के दिन बंटवाडा तकमील करने के दिन अपीलांट को अपीलाधीन बंटवाडा की जानकारी थी अपील देरीना पेश हुई है व म्याद बाहर है इस तथ्य के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 2006(3)डी.एन.जे/राज. /पृष्ठ 1347 पर प्रतिपादित नजीर शंकरलाल बनाम मांगीलाल निर्णय दिनांक 23.08.2006 प्रस्तुत की है इस नजीर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्यायियक अभिमत प्रतिपादित किया है कि धारा 5 द्वितीय अपील दायर में देरी का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नही दिया जाता है तो अपील दायर करने में देरी को क्षमा नही किया जा सकता है। अत:अपीलांट की अपील बाहर म्याद व काबिल खारिज है।

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय नजीर **आर.आर.डी.** 14. 01.2011 में प्रतिपादित निर्णय सरस्वती बनाम डुगर दिनांक 08.12.2010 में माननीय राजस्व मंडल द्वारा यह न्यायियक मत प्रतिपादित किया है कि सहमति पत्र पर साजिशाना तौर पर हस्ताक्षर करवाकर विभाजन का आदेश प्राप्त करने का प्रश्न है इस संबंध में इस सहमति पत्र को निरस्त करवाने हेतु सक्ष्म सिविल न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इसी न्यायिक नजीर की और हमारा ध्यान आकृष्ट कर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि यह लिखित बंटवाडा आपसी सहमति से धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित किया है जिसे इस न्यायालय में अपील में चुनौती नही दी जा सकती है।

Sd—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का मनन किया अपीलांट का कथन है कि तमाम भूमि किस्म बारानी सोयम की है अत:उसे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या1 को बंटवाडे में बराबर बराबर भूमि मिलनी चाहिए लेकिन उसे 1.26 हैक्टेयर कम भूमि मिली है बंटवाडे की मूल पत्रावली में पटवारी की मौके की तथ्यात्मक जांच अनुसार मौके पर उबड खावड व कम उपजाउ भूमि होने से कम ज्यादा जमीन बंट में रखी गई है,अत:अपीलांट का यह तथ्य सही नही पाया जाता है की तमाम बारानी सोयम किस्म की भूमि होने से बराबर बराबर बंट नही कर उसे कम भूमि दी गई है,अपीलांट का यह कथन की वह अनपढ होने से धोखे में रखकर बंटवाडा के स्टाम्प व नक्शे में दरस्तखत करवा लिये गये है यह तथ्य किसी साक्ष्य व ठोस आधारो पर अवस्थित होना नही पाया जाता है अत:अपीलांट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नही है।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य सुस्पष्ट है जिसके अनुसार अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से लिखित बंटवाडा मय गवाह दिनांक 14.07.2008 को प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा 19.09.2008 को आदेश पारित कर उक्त आपसी सहमति से हुए बंटवाडे को न्याय निर्णित किया।तत्पश्चात लगभग 10 बर्षो की अवधि पश्चात दिनांक 08.02.2018 को उक्त अपील प्रस्तुत कर आपसी सहमति बंटवाडे को बिना किसी ठोस विधिक आधार के चुनौती दी गई है जो विधिक रूप से स्वीकार योग्य नही है।बंटवाडे के संबंध में अपीलांट का ऐसा कोई कथन भी नही है कि सहमति बंटवाडे के कागजात पर उसके हस्ताक्षर फर्जी है या कुटरचित है ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रिया से 10 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडे को चुनौती देने बाबत दायर उक्त अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।अन्य कोई विधिक बिन्दु निहित नही है।

Sd/-

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज 05.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर